झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक– 12.06.23

संख्या :– 8/ए॰टी॰आई॰–01/2022 का0 3394/झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के प्रथम अनुसूची में सचिवालय के विभाग एवं उनके संलग्न कार्यालय विनिर्दिष्ट हैं। उक्त अनुसूची के क्रम संख्या 5 पर अंकित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अन्तर्गत राजभाषा निदेशालय संलग्न कार्यालय घोषित है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–4379 दिनांक–16.05.2014 द्वारा निम्नांकित कार्यालयों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अंतर्गत सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित किया गया है :–

क) झारखण्ड राज्य सूचना आयोग

ख) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

ग) पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड

3. उक्त क्रम में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में निम्नांकित पदों का सृजन एवं प्रत्यर्पण करते हुए श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अंतर्गत सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित किया जाता है :–

क्र॰सं॰	पदनाम	सृजित पदों की संख्या
1.	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	6
2.	प्रशाखा पदाधिकारी	3
	कुल :–	9

क्र॰सं॰	पदनाम	प्रत्यर्पित पदों की संख्या
1.	सहायक पुस्तपाल–सह–आर्टिस्ट	1
2.	चलचित्र चालक	1
3.	दफ्तरी–सह–रोनियो ऑपरेटर	1
	कुल :–	3

4. झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के प्रथम अनुसूची को तदनुरूप संशोधित समझा जाएगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–31.05.2023 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या–33 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

6. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

10/6/2023
(प्रवीण कुमार टोप्पो)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :–8/ए॰टी॰आई॰–01/2022 का0 3394 /राँची, दिनांक– 12.06.23

प्रतिलिपि :– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/6/2023

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :–8/नीति–03/2014 का॰ 3394 /राँची, दिनांक– 12.06.23

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट/उप सचिव (PMU कोषांग), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/6/2023

सरकार के सचिव।